



न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट-ट्रेक) डीग

प्रकरण संख्या 112/2012,(जी.सी.एम.एस.नम्बर: 2012/00013)

पीठासीन अधिकारी:-श्री देवी सिंह
(R.A.S)

उनवान

1. दामोदर पुत्र किशनाराम जाति ब्राह्मण नि० नगला खोह तहसील व जिला डीग - मृतक

1/1. केवलराम

1/2. सुखदेव

1/3. रविशंकर

1/4. गौरीशंकर

1/5. निर्मल

1/6. सुषमा

1/7. गायत्री

पुत्रगण स्व० श्री दामोदरलाल जातियान ब्राह्मण नि० ग्राम नगला खोह तहसील
व जिला डीग(राज०)

पुत्रीयांन स्व० श्री दामोदरलाल

-वादीगण

बनाम

1. तुलाराम

2. मिटठनराम

3. नारायनलाल

4. चतरुराम

5. रतनलाल

6. गिर्राज पुत्र गुटियारी

7. मुखराम पुत्र गुटियारी

8. मूलचन्द पुत्र खचेरा

9. प्रेमवती पत्नी वाली

10. मुकेशचन्द पुत्र वाली

11. बुद्धीलाल पुत्र पूरन -मृतक

11/1. कैलाश पुत्र बुद्धीलाल

11/2. सौमोती पत्नी बुद्धीलाल

11/3. भूपन पुत्र उमेशचन्द


11/4. लक्ष्मीकॉन्त पुत्र उमेशचन्द

11/5. इन्द्रा पत्नी उमेशचन्द

12. दिनेशचन्द पुत्र लालाराम

13. महेशचन्द पुत्र लालाराम

जातियान ब्राह्मण नि० नगला खोह तहसील व जिला डीग



उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राह



14. बंसल एग्रोमेंट लिमिटेड 101 नमन सेंटर अपोजिट देना बैंक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बांद्रा ईस्ट मुम्बई जरिये डायरेक्टर राजीव बंसल पुत्र राजेन्द्र बंसल जाति वैश्य नि० मानक चौक मथुरा
15. पंजाब नेशनल बैंक शाखा खोह जरिये प्रबंधक
16. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा डीग जरिये शाखा प्रबंधक
17. तहसीलदार तहसील डीग प्रतिनिधि राज० सरकार
18. श्रीमति केशर पत्नी तुलाराम जाति ब्राह्मण नि० ग्राम नगला खोह तहसील डीग

—प्रतिवादीगण


दावा अन्तर्गत धारा 53 राज० टि० एक्ट,

निर्णय

दिनांक: 06.02.2024

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 3345/0.20, 3546/0.11, 3547/0.66, 3547/4929/0.08, 3547/4930/0.10, 3584/0.32, 3610/0.64, 3611/0.57, 3619/5017/0.25, 3690/0.14, 3691/5028/0.12, 3692/0.19, 4316/0.35, 4317/0.57, 4336/0.15, 4337/0.23, 4338/0.35, 4339/0.32, कुल किता-18 कुल रकबा 5.35 हैक्टे०, खाता संख्या 394 तथा खसरा नम्बर 3688/0.34 खाता संख्या 81 तथा खसरा नम्बरान 3647/0.25, 3674/0.23, किता-2 रकबा 0.48 हैक्टे० खाता संख्या 150 तथा खसरा नम्बर 1522/1.28 हैक्टे० खाता संख्या 151 तथा खसरा नम्बर 3665/0.94 हैक्टे० खाता संख्या 250 तथा खसरा नम्बर 3689/0.54 हैक्टे० खाता संख्या 355 तथा खसरा नम्बर 3321/0.18, 3322/0.22, 3330/0.11, 3331/0.02, 3332/0.33, 3332/1/0.03, 3337/0.11, किता-7 रकबा 1.00 हैक्टे० खाता संख्या 393 तथा खसरा नम्बरान 1522/5054/0.56, 3372/0.18, 3524/0.18, 3548/0.01, 3549/0.86, 3550/0.23, 3551/0.15, 3552/0.35, 3553/0.38, 3554/0.33, 3564/0.68, 3565/0.51, 3571/0.35, 3579/0.72, 3648/5056/0.10, 3667/0.52, 3671/0.05, 3675/0.71, 3675/1/0.02, 3683/0.35, 3686/0.32, 3750/0.42, 3750/5055/1.44, 3918/0.44, 3920/0.35, 3921/0.35, 3948/0.22, किता-27 रकबा 10.78 हैक्टे० खाता संख्या 395 वाके ग्राम नगला खोह तहसील डीग में स्थित है।


विवादित आराजी में से आराजी वर्णित खाता संख्या 394 वादी तथा प्रति० संख्या 1 लगायत 7 के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिसके 1/2 हिस्से पर वादी तथा प्रति० संख्या 1 लगायत 5 का तथा 1/2 हिस्से पर प्रति० संख्या 6 व 7 का कब्जा बतौर खातेदार है तथा आराजी खसरा नम्बर 3688/0.34 के हिस्सा 16/34 पर प्रति० संख्या 8 अपने पिता खचेरा पुत्र परसादी की मृत्यु के बाद से बतौर खातेदार काबिज है तथा शेष हिस्सा पर वादी तथा प्रति० संख्या 1 लगायत 7 मुताविक हिस्सा दर्ज जमाबन्दी बतौर खातेदार काबिज है तथा आराजी खसरा नम्बर 3647/0.25 व 3674/0.23


उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राब

पर वादी तथा प्रति० संख्या 1 लगायत 7 बतौर खातेदार काबिज है। जिसके 1/2 हिस्से पर वादी तथा प्रति० संख्या 1 लगायत 5 काबिज चले आ रहे हैं तथा 1/2 हिस्से पर प्रति० संख्या 6 व 7 काबिज चले आ रहे हैं तथा आराजी खसरा नम्बर 1522/1.28 है। वादी तथा प्रति० संख्या 6 व 7 व प्रति० 14 बतौर खातेदार काबिज चले आ रहे हैं। आराजी खसरा नम्बर 3665/0.94 पर वादी तथा प्रति० संख्या 1 लगायत 5 व प्रति० संख्या 9 लगायत 13 मुताविक हिस्सा दर्ज जमाबन्दी अपने अपने हिस्से पर बतौर खातेदार काबिज है तथा आराजी खसरा नम्बर 3689/0.54 पर वादी तथा प्रति० संख्या 1 लगायत 7 मुताविक हिस्सा दर्ज जमाबन्दी बतौर खातेदार काशतकार अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं तथा आराजी खसरा नम्बर वर्णित खाता संख्या 393 के हि० 5/6 पर वादी तथा प्रति० संख्या 1 व 2 प्रति० संख्या 4 व 5 बतौर खातेदार काबिज चले आ रहे हैं तथा हि० 1/6 पर प्रति० संख्या 18 बतौर खातेदार काबिज चली जा रही है तथा खसरा नम्बरान 1522/5054, 3372, 3524, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3564, 3565, 3571, 3579, 3648/5056, 3667, 3671, 3675, 3675/1, 3683, 3686, 3750, 3750/5055, 3918, 3920, 3921, 1948 पर वादी तथा प्रति० संख्या 1 लगायत 5 व प्रति० संख्या 14 मुताविक हिस्सा दर्ज जमाबन्दी अपने अपने हिस्से पर बतौर खातेदार काशतकार काबिज चले आ रहे हैं और इस प्रकार विवादित आराजी पक्षकारान के कब्जे काशत व खातेदारी की आराजी मुताविक हिस्सा दर्ज जमाबन्दी है। उपरोक्त वर्णित आराजी का विधिवत् वंटवारा नहीं हुआ है तथा पक्षकारान के मध्य आपस में बनती नहीं है।

निवेदन है कि उक्त वर्णित आराजीयात वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र की अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी को तकसीम किया जाकर वादी तथा प्रति० संख्या 1 लगायत 14 व प्रति० संख्या 18 के मुताविक हिस्सा पृथक पृथक कुरे बनाये जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति० को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 04.04.2013 को प्रति० संख्या 4 की ओर से राजेश गुप्ता व प्रति० 9 लगायत 13 की ओर से मूलचन्द जैन एड० ने वकालतनामा 13.05.2017 को पेश किया। दिनांक 06.06.2014 को प्रति० संख्या 1, 2, 3, 5 लगायत 8 व 15, 16, 18 बावजूद सूचना व तामील के उपस्थित अदालत नहीं होने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 28.10.2015 को प्रति० संख्या 17/तहसीलदार जबाव नहीं देने पर जबाव तहसीलदार बंद किया गया। दिनांक 11.11.2016 को तनकीयात कायम की गई। साक्ष्य वादी में दिनांक 16.12.2016 को साक्ष्य वादी में वादी दामोदर का शपथ पत्र पेश किया गया। प्रति० संख्या 4 की ओर से दिनांक 08.05.2017 को श्री पंकज भूषण गोयल एड० ने प्रति० संख्या 4 की ओर से अपना वकालतनामा पेश किया। दिनांक 29.05.2017 को वादी दामोदर के बयान दर्ज किये जाकर साक्ष्य वादी बंद की गई। दिनांक 04.08.2017 को साक्ष्य प्रति० में शपथ पत्र पेश किया गया। प्रति० संख्या 11 के फौत होने पर दिनांक 04.08.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी. पेश किया गया


अखण्ड अधिकारी
द्वारा (डॉग) राब

जिसे दिनांक 26.09.2017 को स्वीकार किया गया। दिनांक 03.10.2017 को संशोधित शीर्षक पेश किया गया। प्रति 0 संख्या 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5 बाबजूद सूचना व तामील के उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 10.11.2017 को इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 07.12.2017 को प्रति 0 मुकेश डीडब्ल्यू-1 बयान दर्ज किये गये। दिनांक 29.01.2018 को साक्ष्य प्रति 0 बंद की जाकर दावे को बहस हेतु रखा गया। दिनांक 06.04.2018 को दावे को साक्ष्य के आधार पर सावित होने पर प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार डीग से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। दिनांक 11.07.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा.दी.पेश किया गया। जिसे दिनांक 03.02.2021 को स्वीकार किया गया। वकील प्रति 0 श्री राजेश गुप्ता द्वारा दिनांक 07.05.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 जा. दी. को पेश किया गया। जिसे न्यायहित 2000/-रु० की कॉस्ट पर स्वीकार किया गया। साथ ही तहसीलदार डीग से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा के ही हस्ताक्षर से प्राप्त होने पर उन्हें तहसीलदार डीग को वापिस भिजवाया जाकर निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर भिजवाये जाने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया। दिनांक 27.08.2024 को विभाजन प्रस्ताव को आक्षेप के साथ तहसीलदार डीग को पुनः वापिस भिजवाया जाकर निर्धारित प्रपत्र में ही पेश किये जाने हेतु लिखा गया। दिनांक 09.10.2024 को तहसीलदार डीग के पत्रांक:एल.आर./2024/2128 दिनांक 11.09.2024 से विभाजन प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त हुए।

तहसीलदार डीग से दिनांक 11.09.2024 को प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादीगण को सुना गया। वकील वादीगण ने मुताविक विभाजन प्रस्ताव दावे को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया गया।

अतः तहसीलदार डीग से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11.09.2024 के आधार पर हम दावा डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

तहसीलदार डीग से प्राप्त कुरा प्रस्ताव निम्नानुसार है:-

कुरा प्रस्ताव संख्या:-1,


तुलाराम पुत्र किशनाराम जाति ब्राह्मण नि० नगला खोह खातेदार, आराजी खसरा नम्बरान 3683/0.35, 3686/0.32, 3552/0.35, 3554/1/0.23, 3579/2/0.40 किता-5 रकबा 1.65,

कुरा प्रस्ताव संख्या:-2,

रतनलाल पुत्र किशनाराम जाति ब्राह्मण नि० नगला खोह खातेदार रहिन पी.एन.बी. शाखा खोह मुर्तहन, आराजी खसरा नम्बरान 3647/0.25, 3665/0.51, 3547/2/0.42, 3549/3/0.18, 3579/1/0.29, किता-5 रकबा 1.65

कुरा प्रस्ताव संख्या:-3,

नारायण पुत्र किशनाराम ब्राह्मण नि० नगला खोह रहिन पी.एन.बी.शाखा खोह मुर्तहन, आराजी खसरा नम्बरान 4336/2/0.14, 4337/2/0.22, 4338/2/0.33, 4339/2/0.30, 3671/0.05,


उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राब.

3545/1/0.16, 3619/5017/3/0.06, 3688/2/0.09, 3648/5056/0.10, 3667/2/0.17,
3579/3/0.03, किता-11 रकबा 1.65,

कुरा प्रस्ताव संख्या:-4, चतुर्भुज पुत्र किशनाराम जाति ब्राह्मण नि० नगला खोह खातेदार, आराजी
खसरा नम्बरान 3554/2/0.10, 3611/0.57, 3610/1/0.03, 3546/0.11, 3690/0.14,
3667/1/0.35, 3571/0.35, किता-7 रकबा 1.65,

कुरा प्रस्ताव संख्या:-5,

मिटठनलाल पुत्र किशनाराम जाति ब्राह्मण नि० नगला खोह रहन एस.बी.आई., ए.डी.बी.शाखा डीग
खातेदार मुर्तहन, आराजी खसरा नम्बरान 3688/3/0.09, 3689/1/0.13, 3675/0.73, 3550/0.23,
3551/0.15, 3549/1/0.32, किता-6 रकबा 1.65,

कुरा प्रस्ताव संख्या:-6,

केवलराम, गौरीशंकर, रविशंकर, सुखदेव पुत्रगण दामोदरलाल गायत्री निर्मला सुषमा देवी पुत्रीयान
दामोदरलाल जाति ब्राह्मण नि० नगला खोह खातेदार, आराजी खसरा नम्बरान 3553/0.38, 3564/0.
68, 3372/0.18, 1522/3/0.07, 3619/5017/2/0.05, 3549/2/0.36 किता-6 रकबा 1.72,

कुरा प्रस्ताव संख्या:-7,


मुखराम पुत्र गुटारी जाति ब्राह्मण नि० नगला खोह खातेदार रहन पी.एन.बी.शाखा खोह मुर्तहन,
आराजी खसरा नम्बरान 3610/2/0.61, 3584/0.32, 3689/2/0.41, 1522/1/0.20 किता-4
रकबा 1.54,

कुरा प्रस्ताव संख्या:-8, गिर्राज पुत्र गुटारी जाति ब्राह्मण नि० नगला खोह खातेदार, आराजी खसरा
नम्बरान 4316/0.35, 4317/0.57, 4336/1/0.01, 4337/1/0.01, 4338/1/0.02, 4339/1/0.
02, 3674/0.23, 3547/1/0.24, 3545/2/0.04, 3691/5028/0.12, 3619/5017/1/0.14,
1522/2/0.44, किता-12 रकबा 2.19 हैक्टे०,

कुरा प्रस्ताव संख्या:-9, राजीव पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति वैश्य सा. मालिक चौक मथुरा खातेदार,
आराजी खसरा नम्बर 1522/4/0.57, किता-1 रकबा 0.57,

कुरा प्रस्ताव संख्या:-10, मूलचन्द पुत्र खचेरा जाति ब्राह्मण नि० नगला खोह खातेदार रहिन पी.एन.बी.
शाखा खोह मुर्त. आराजी खसरा नम्बर 3688/1/0.16, किता-1 रकबा 0.16,

कुरा प्रस्ताव संख्या:-11, गिर्राज प्रसाद पि० गुटारी बाहि० बरा० 1/2 चतुर्भुज, तुलाराम, नारायनलाल,
मिटठनलाल, रतनलाल पिस० किशनाराम वाहि० बरा० 5/12 केवलराम, गौरीशंकर, रविशंकर, सुखदेव
पिस० दामोदरलाल गायत्री, निर्मलदेवी, सुषमादेवी पुत्री दामोदरलाल वाहि० बरा० 1/12 जातियान ब्राह्मण
सा० नगला खोह मुखराम, रतनलाल रहिन पी.एन.बी.खोह मुर्त. शेष, आराजी खसरा नम्बरान
3547/4929/0.08, 3547/4930/0.10, 3692/0.19, कुल किता-3 रकबा 0.37,


अण्ण्ड अधिकारी
डोग (डोग) राज.

कुरा प्रस्ताव संख्या:-12, केवलराम, गौरीशंकर, रविशंकर, सुखदेव पिस0 दामोदरलाल गायत्री, निर्मलादेवी, सुषमादेवी पुत्रियां दामोदरलाल बहि0 बरावर 14/987 तुलाराम, चतुर्भुज, नारायनलाल, मिठ्ठनलाल, रतनलाल पिस0 किशनाराम बहि0 बरावर 10/141 प्रेमवती पत्नी वालो हि0 43/235 मुकेशचन्द पुत्र वालो हि0 172/235 जाति ब्राह्मण सा0 नगला खोह खातेदार, प्रेमवती, मुकेश, रतनलाल रहिन पी.एन.बी.खोह नारायन रहिन एस.बी.आई.डीग मुर्त. आराजी खसरा नम्बर 3665/0.94 किता-1 रकबा 0.94,

कुरा प्रस्ताव संख्या:-13, केवलराम, गौरीशंकर, रविशंकर, सुखदेव पुत्रगण दामोदरलाल गायत्री सुषमादेवी निर्मलादेवी पुत्रियां दामोदरलाल वाहि0 बरावर 1/6 केशर पत्नी तुलाराम हि0 1/6 तुलाराम पुत्र किशनाराम हि0 1/6 मिठ्ठनलाल 1/6 रतनलाल 1/6 पिस0 किशनाराम जाति ब्राह्मण नि0 नगला खोह तहसील डीग, राजीव पुत्र राजेन्द्रप्रसाद हि0 1/6 जाति वैश्य निवासी माणिक चौथ मथुरा खातेदार, खातेदार रहिन रतनलाल पी.एन.बी. शाखा खोह मुर्त0, आराजी खसरा नम्बरान 3321/0.18, 3322/0.22, 3330/0.11, 3331/0.02, 3332/0.36, 3337/0.11, 1522/5054/0.56, 3750/0.42, 3750/5055/1.44, 3918/0.44, 3920/0.35, 3921/0.35, 3948/0.22 किता-13 रकबा 4.78,

कुरा प्रस्ताव संख्या:-14, केवलराम, गौरीशंकर, रविशंकर, सुखदेव पुत्रगण दामोदरलाल गायत्री सुषमादेवी निर्मलादेवी पुत्रियां दामोदरलाल वाहि0 बरावर 1/6 चतुर्भुज तुलाराम नारायनलाल मिठ्ठनलाल रतनलाल वाहि0 बरावर 5/6 पिस0 किशनाराम जाति ब्राह्मण सा0 नगला खोह खातेदार रहिन रतनलाल पी.एन.बी. शाखा खोह मुर्त0, आराजी खसरा नम्बरान 3524/0.18, 3548/0.01 किता-2 रकबा 0.19,

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व कुरा प्रस्ताव के अवलोकन किये जाने के उपरांत हम दावा वादीगण को कुरा प्रस्ताव के आधार पर स्वीकार किया जाकर काविले डिक्री किये जाने योग्य समझते हैं।

अतः आदेश है कि :-

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। कुरा प्रस्ताव 01 लगायत 14 में वर्णित आराजी (वाके ग्राम नगला खोह तहसील डीग) खसरा नम्बरान अनुसार वादीगण व प्रति0 को पृथक पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वर्णित आराजी में रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)

सहायक कलक्टर,
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 06.02.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(देवी सिंह)

सहायक कलक्टर,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.